Item No. 03

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)

Original Application No. 44/2021 (CZ)

Anuj Kumar Yadav Applicant(s)

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: **29.11.2021**

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. ARUN KUMAR VERMA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s): None.

For Respondent(s): Mr. Ayush Dev Bajpai, Adv.
Mr. Sachin K. Verma, Adv.
Ms. Parul Bhadoria, Adv.

ORDER

1. Issue of illegal stone crusher and quarrying unit being operated by Respondent nos. 6 & 7 in village Bavai, Tehsil and District Niwari in Madhya Pradesh, causing damage to the agriculture, encroachment in other lands, where no permission and consent to operate was granted by the authorities concerned, leading deep pits causing injury and damage to life of human beings and impact animals, blasting carried by the operator, causing damage to the houses and other irregularities including violation of sitting criteria has been raised by the Learned Counsel for the applicant.

2. The matter was taken on 09.07.2021 and the Tribunal constituted a committee consisting District Magistrate, Niwari and State Pollution Control Board with the directions to submit the factual and action taken report. In compliance thereof, the committee visited the site and submitted the report which is as follows:-

"<u>प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संबंधं में विवरण–</u>

मेसर्स दीपइण्ड (खदान तथा क्रेशर इकाई) ग्राम–बाबई तह. व जिला–निवाड़ी के ख. नं. 306 में स्थापित है । इकाई में वायुप्रदुषण नियंत्रण हेतु तीन तरफ से एम एस शीट की 12 फिट ऊॅची बाउण्ड्री वाल बनाई गई है, धूल उत्सर्जन के मुख्य स्त्रोतों पर वॉटर स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था की गई तथा बाईब्रेटरी स्क्रीन को एम एस शीट से कवर किया गया है । इसी प्रकार सुरक्षा हेतु ऑवटित लीज क्षेत्र मेंवायरफेंसिंग की गई है तथा खदान क्षेत्र में वाहनों के आवागमन के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु टैंकर्स के माध्यम से जल छिड़काव किया जाताहै । निरीक्षण दिवस खदान से पत्थर उत्खनन व स्टोन क्रेशर से गिटटी निर्माण संबंधी कार्य बंद पाया गया है। खनिज विभाग निवाड़ी व्दारा दी गई जानकारी के अनुसार क्रेशर /खदान में दिनांक 29.07.2021 से उत्पादन कार्य बंद है । निरीक्षण दिवस स्थल के लिये गये छायाचित्र संलग्न हैं ।

<u>खदान के संबंध में विवरण–</u>

कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) व्दारा सर्वप्रथम श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से पत्थर बोल्डर खदान, जिसका क्षेत्रफल 4.00 हेक्ट है ,उक्त लीज एग्रीमेंट दिनांक 01.03.2016 को 10 वर्ष की अवधि हेतु (दिनांक 30.12.2015 से 29.12.2025 तक) किया गया था ।

<u>पर्यावरण स्वीकृत के संबंध में–</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण भोपाल व्दारा पत्र क्र. 2835 दि. 03. 03.2015 को श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से ग्राम बाबई तह. व जिला निवाड़ी के खसरा क्र. 306 खदान का क्षेत्रफल 4.00 हेक्ट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी । जिसमें पत्थर बोल्डर उत्खनन की क्षमता 8820 घनमीटर /वर्ष दी गई है ।

<u>म.प्र.प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की स्थपना /उत्पादन सम्मति–</u>

पत्थर बोल्डर खदान जिसका ख.नं 306 रकबा 4.00 हेक्टे. ग्राम–बाबई तह. व जिला – निवाड़ी को सर्वप्रथम श्री कैलाश नारायण गुप्ता के नाम से ऑनलाईन स्थापना सम्मति, उत्पादन क्षमता–माईनिंग ऑफस्टोनबोल्डर–8820 घनमीटर /वर्ष हेतु दिनांक 16.12.2016 को प्रदान की गई है । तत्पश्चात खदान से उत्पादन प्रारंभ करने हेतु खदान प्रबंधक को दिनांक 10.01.2018 को ऑनलाईन स्थापना सम्मति प्रदान की गई है ।

<u>खदान नामांतरण के संबंध में–</u>

पत्थर बोल्डर खदान के पटटेदार श्री कैलाशनारायण गुप्ता व्दारा दिनांक 07.12.2019 कोमे. दीप इण्ड. ग्राम–बाबई तह. व जिला–निवाड़ी के पक्ष में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शखा) निवाड़ी के माध्यम से लीज की रजिस्ट्री कराई गई है । इस के

पश्चात वर्तमान पटटाधारी मे. इण्ड. (खदान इकाई) को सशर्त जल /वायु सम्मति नवीनी करण प्रदान किया गया था । किन्तु वर्तमान पटटाधारी दीप इण्ड. व्दारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण भोपाल से पूर्व पटटे धारी श्री कैलाशनारायण गुप्ता व्दारा प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में नाम परिवर्तन करा कर प्रस्तुत नही ंकरने के कारण बोर्ड व्दारा खदान व क्रेशर इकाइ ंका ंजारी की गइ ंसम्मति पत्र दिनांक 09.09.2021 को निरस्त किये गये है ंतथा खदान स ंउत्पादन कार्य बंद करने बाबत जल (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33– क– तथा वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31– क– के अन्तर्गत दिनांक 09.09.2021 को बंधनकारी निर्देश जारी किया गया है तथा खनिज विभाग निवाड़ी को खदान की रायल्टी एवं पिटपास तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, पत्रों की प्रतियॉ संलग्न हैं । उल्लेखनीय ह ंकि वर्तमान पटटाधारी व्दारा पर्यावरणीय स्वीकृति मे ंनाम परिवर्तन करने हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण भोपाल में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।"

3. Learned counsel appearing for the Project Proponent has argued that report submitted by the joint committee is not factually correct and there is no violation of law. We have examined the report, where it has been mentioned that the unit was not functional during the time of inspection. Only observation by the joint committee is to the effect that the project proponent must obtain the environmental clearance or necessary consent orders from the State Pollution Control Board according to law.

4. We intend to accept the recommendations submitted by the committee and direct the respondents to comply the environmental norms and without the necessary permission from the State Pollution Control Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the unit should not be made functional. State Pollution Control Board is directed to periodically monitor the unit and incase of violation of any rules or environmental norms, necessary action be initiated according to law.

5. The guidelines issued in Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 read with Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining,

2020 and the rules framed by the State Government must be strictly observed.

Accordingly, **Original Application No. 44/2021 is disposed of**.

Sheo Kumar Singh, JM

Arun Kumar Verma, EM

29th November 2021
O.A. No. 44/2021(CZ)
PN